



# नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)

## NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, Govt of India)

कं: अ-25(1)/प्रशा./188

दिनांक: 28 जनवरी, 2016

### परिपत्र

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण कार्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने **व्यक्तिगत दावे** के निपटान हेतु निम्नलिखित निर्धारित समय-सीमा (जिसमें प्रशा. एवं लेखा अनुभाग का कार्य भी सम्मिलित है व **मुख्यालय से अन्य स्थित कार्यालय डाकविभाग की समय को अलग से रखें एवं आवेदन फॉक्स से प्रेषित नहीं करें**) का पालन करने हेतु उचित सहयोग करें, जिससे यह कार्य सुचारु रूप से किया जा सकें:

क्र.स.	दावा (यदि विहित प्रपत्र उपलब्ध है तो केवल उसमें ही आवेदित करें एवं आवश्यक संलग्नकों सहित (यदि लागू हो)	कार्य की निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा		
		प्रशासन अनुभाग (जांच एवं आदेश)	लेखा/वित्त अनुभाग (पुनःजांच एवं पारित)	लेखा/वित्त अनुभाग (मुगतान)
1.	समस्त अग्रिम/दावा का सत्यापन	07 दिवस (केवल एलटीसी अग्रिम)	07 दिवस	---
2.	दौरा/मेडीकल अग्रिम	07 दिवस	07 दिवस	03 दिवस
3.	एलटीसी / त्यौहार/वाहन/कम्प्यूटर कच /वेतन अग्रिम	12 से 15 दिवस	07 दिवस	-वही-
4.	जीपीएफ/सीपीएफ अग्रिम/आहरण	10 दिवस	15 दिवस	-वही-
5.	ओपीडी/आईपीडी **/शिक्षण शुल्क दावा	30 दिवस	15 दिवस	-वही-
6.	यात्रा भत्ता/स्थानांतरण यात्रा ** /एलटीसी दावा	15 दिवस (केवल एलटीसी दावा)	15 से 20 दिवस	-वही-
7.	गृह निर्माण अग्रिम	45 दिवस	15 दिवस	05 दिवस

उक्तानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि प्रक्रिया को सरल करने हेतु दौरा, त्यौहार, जीपीएफ/सीपीएफ अग्रिम के आवेदन को सीधे लेखा/वित्त खण्ड को प्रेषित/प्रस्तुत करें एवं उसमें सभी सम्बंधित आवश्यक-प्रपत्र संलग्न करें (यदि लागू हो)। व प्रशासनिक समय-सीमा लेखा/वित्त विभाग के सत्यापन के उपरांत लागू होगी।

अपरिहार्य स्थिति में समय-सीमा से ज्यादा समय लग सकता है।

\* आपात स्थिति में मेडीकल अग्रिम पर तुरन्त कार्यवाही होगी।

\*\* सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे के निर्धारण पर लिया जाना वाले समय उक्त समय-सीमा में सम्मिलित नहीं है।

उक्त परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वि. दयालानी

(विनोद दयालानी)

उप निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- कार्यकारी सदस्य के प्रधान निजी सचिव, ननिप्रा, इन्दौर
- सदस्य(सिविल)/सदस्य(विद्युत) के निजी सचिव, ननिप्रा, इन्दौर
- सदस्य(पर्यावरण एवं पुनर्वास) के निजी सचिव, ननिप्रा, इन्दौर

(क.प्र.उ.)

नर्मदा सदन, ब्लॉक बी, स्कीम नं. 74  
विजय नगर, इन्दौर- 452010(म.प्र.)

Narmada Sadan. Block B,  
Scheme No. 74, Vijay Nagar,  
Indore-452010 (M.P.)

स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल  
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

वित्त अधिकारी - टेलीफैक्स : 0731-2551429  
Finance Officer  
उप निदेशक (प्रशा.) - टेलीफैक्स : 0731-2557888  
Dy. Director (Adm.)  
सहायक निदेशक(सम्पर्क) - फोन : 0731-2557233  
Asstt. Director (Lia.) - फैक्स : 0731-2575749  
Web Site : www.mowr.gov.in • www.nca.gov.in